

**अनुसूचियां-1 से 11: निर्वाचन निधियों एवं अप्रार्थी के व्यय का विवरण**

अनुसूची-2

अनुसूची-1						
जनसभा/पैली/जुरस आदि (अर्थात् राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक के साथ गिर गए व्यय के अलावा) में व्यय						
क्र.सं.	व्यय का स्वरूप	कुल धनराशि रुपये में	व्यय के स्रोत			अन्यों के द्वारा उपागत राशि
			अप्रार्थी/अभिकर्ता द्वारा उपागत/अधिकृत कुल राशि	राजनीतिक दलों के नामसहित उपगतिराशि		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	आंगुलों को लाने, ले-जाने के लिए वाहन	2000	—	—	2000/-	
2.	मंत्र, पंडाल एवं फर्नीचर, पिक्सचर, पोल आदि तैयार कराना	—	—	—	—	
3.	तेरथा एवं शैरेकेड आदि	—	—	—	—	
4.	फूल/माला	—	—	—	—	
5.	लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्प्लिफायर, मिलानकर्ता आदि भाड़े पर लेना	6000/-	—	—	6000/-	
6.	पोस्ट, हैंडविन, पैम्फलेट, बैनर, बरतआवट, होर्डिंग	200/-	—	—	200/-	
7.	पेय जैसे चाय, पानी, कोल्डड्रिंक, जूस आदि	—	—	—	—	
8.	रिजिटल टी वी, बोर्ड डिजिटल, प्रोजेक्टर डिस्प्ले, टिकट बोर्ड, 3डी डिस्प्ले	—	—	—	—	
9.	गणमान्य व्यक्तियों पर व्यय, संगीतज्ञों को भुगतान, अन्य कलाकारों का पारिश्रमिक आदि	—	—	—	—	
10.	प्रकाश की मर्से जैसे पकिबंद लाइट, बोर्ड आदि	—	—	—	—	
11.	परिवहन पर व्यय, हेलीकाप्टर/ एयरकाप्ट / वाहन/नौव आदि का प्रभार (स्वयं, गणमान्य व्यक्ति या स्टार प्रचारक के अलावा किसी अन्य प्रचारक के लिए)	—	—	—	—	
12.	विद्युत खर्च/जनेरेटर प्रभार	—	—	—	—	
13.	स्थल के लिए किराया	—	—	—	—	
14.	गार्ड एवं सुरक्षा प्रभार	—	—	—	—	
15.	स्वयं, गणमान्य व्यक्ति, दल कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक सहित किसी अन्य प्रचारक के लिए रखने व खाने का व्यय	—	—	—	—	
16.	अन्य व्यय	10,050/-	10,050/-	—	—	
	कुल	18250	10,050/-	—	8250/-	

दल प्रचारक (को) के साथ जनसभा, पैली, जुरस आदि में अप्रार्थी के लिए यथा प्रमाणित व्यय (सिवाय उन व्ययों के जो निर्धारित दल प्रचार पर किए गए हैं)

क्र.सं.	निर्वाचन एवं स्थान	स्टार प्रचारक (को) के नाम एवं दल का नाम	स्टार प्रचारक (को) के साथ जनसभा, पैली, जुरस आदि में अप्रार्थी के लिए यथा प्रमाणित व्यय (सिवाय उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं) की राशि रुपये में	व्यय का स्रोत			टिप्पणी यदि कोई हो।
				अप्रार्थी/रजिस्ट्रार के द्वारा राशि	राजनीतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि	
1.	2.	3.	4.	5.			

(240)

अप्रार्थी

(241)

अप्रार्थी

अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए सामग्री जैसे हैंड बिल, पैम्फलेट्स, पोस्टरों, होडिंग, बैनरों, कार्डआउट्स, गेट एवं आर्ब, शीटों एवं ऑडियो कैसट्स, सी.डी./डी.सी.डी., लाउड स्पीकर्स, एम्प्लिफायर्स, डिजिटल टी.वी./बार्ड डिस्प्ले, 3 डी डिस्प्ले आदि पर होने वाले व्यय का विवरण (अर्थात: अनुसूची 1 एवं 2 में शामिल किए गए व्यय के अलावा)

क्र.सं.	व्यय का स्वरूप	कुल धन राशि रुपये में	व्यय के स्रोत				टिप्पणी यदि कोई हो।
			अभ्यर्थी/एजेन्ट के द्वारा राशि	राजनीतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	झाड़	96/-				96/-	
2.	TRM	96/-				96/-	
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

सोपाना 14

अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए सामग्री जैसे हैंड बिल, पैम्फलेट्स, पोस्टरों, होडिंग, बैनरों, कार्डआउट्स, गेट एवं आर्ब, शीटों एवं ऑडियो कैसट्स, सी.डी./डी.सी.डी., लाउड स्पीकर्स, एम्प्लिफायर्स, डिजिटल टी.वी./बार्ड डिस्प्ले, 3 डी डिस्प्ले आदि पर होने वाले व्यय का विवरण (अर्थात: अनुसूची 1 एवं 2 में शामिल किए गए व्यय के अलावा)

क्र.सं.	व्यय का स्वरूप	कुल धन राशि रुपये में	व्यय के स्रोत				टिप्पणी यदि कोई हो।
			अभ्यर्थी/एजेन्ट के द्वारा राशि	राजनीतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							

सोपाना 14











निर्वाचन प्रचार हेतु प्रयुक्त स्वयं की निधि का विवरण					
क्र.सं.	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक सं. आदि	कुल धनराशि स्वयं में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	06.11.2023	10,000	— बैंक	10,000	—
2.	—	10,000	— बैंक	10,000	—
3.	22.11.2023	10,500	— बैंक	10,500	—
4.	24.12.2023	30,000	— बैंक	30,000	—
5.	27.12.2023	50,000	— बैंक	50,000	—
6.			105000 = 110500		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

(274) निर्वाचन

निर्वाचन प्रचार हेतु प्रयुक्त स्वयं की निधि का विवरण					
क्र.सं.	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक सं. आदि	कुल धनराशि स्वयं में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

(275) निर्वाचन

अनुसूची-7

निवाहन प्रकार हेतु प्रयुक्त स्वयं की निधि का विवरण					
क्र.सं.	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट/चैक सं. आदि	कुल धनराशि रुपये में	दिवाली
1	2	3	4	5	6
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
कुल					

(276) 15/11/14

अनुसूची-8

वर्षी (वी) से नकद या चैक या डिमांड ड्राफ्ट या खाली स्थानांतरण द्वारा प्राप्त एकमुश्त धन राशि का विवरण						
क्र.सं.	व्यक्तिगत व्यक्तियों के नाम	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट/चैक सं. आदि	कुल धनराशि रुपये में	दिवाली, यदि कोई है
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

(277) 15/11/14







वसुंधरा प्रवार-अभियान पर होने वाले निर्वाचन व्यव का व्यौरा			
क्र.सं.	वसुंधरा प्रवार-अभियान का स्वकार (सीशल भीडिया स्टेडकार्ग/रु/अन्य साधन का उल्लेख करें)	विषय-परसु तैयार करने वाले का नाम	संदेश प्रसारित करने वाले भीडिया का नाम
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
कुल			

वसुंधरा प्रवार-अभियान पर होने वाले निर्वाचन व्यव का व्यौरा			
कुल धनराशि (रु. में)	व्यय का उल्लेख		
	अन्यथा/रुनेट द्वारा धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा धनराशि	अन्य द्वारा धनराशि
5	6	7	8
कुल धनराशि			

1. अनुसूची 5 में :-

(क) अदला की प्रति विमर्श सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परफिट जारी किए गए हैं, संतान की जानी है।

(ख) यदि अप्रार्थी/उसके रिश्तेदार/रजिस्ट्रार का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किराए पर लेने का कल्पित किराया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अप्रार्थी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईंधन का कल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन, उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।

2. सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा या किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघों/व्यक्ति/किसय आदि द्वारा अप्रार्थी के पक्ष पर उभरवाया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का कल्पित किराया ऊपर दिए सम्बन्धित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए।

3. भाग-2 में राजनीतिक दल या अन्यो से प्राप्त निधि या अप्रार्थी की स्वयं की कुल धन-राशि का तिथि-वार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए अप्रार्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए।

4. सार विवरणों का प्रत्येक पृष्ठ अप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।  
(आयोग द्वारा अपने पत्र सं. 76/वस्तुअल केम्पन/ईईपीएस/2022, दिनांक 15 जनवरी, 2022 के जरिए संशोधित, अनुबंध-ब9 पर रखा हुआ है)

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग-I: निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग-I: निर्वाचन व्ययों का सार विवरण	
I	अप्रार्थी का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी जगदीश कुमार शर्मा
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम लखनऊ (125)
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम राजस्थान
IV	निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन/उप/निर्वाचन का उल्लेख करें) राज्य विधान सभा
V	परिणाम घोषित करने की तारीख 03.10.2023
VI	निर्वाचन अधिकर्ता का नाम एवं पता अज्ञात
VII	यदि अप्रार्थी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख करें राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक कांग्रेस
VIII	क्या राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है? हां/नहीं हां

दिनांक : 03/10/2023  
स्थान : राजपुरा  
अप्रार्थी के हस्ताक्षर जगदीश कुमार शर्मा  
नाम जगदीश कुमार शर्मा  
श्रीवती शर्मा



## भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उभारा/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	राजनीतिक दल द्वारा उभारा/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	अन्य द्वारा उभारा/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (स्लॉट (3), (4) एवं (5) का जोड़)
1	जन सभाएं, सैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय	3	4	5	6
I	जन सभाएं, सैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात्: राजनीतिक दल के स्तर प्रचारकों पर होने वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-1 के अनुसार संतान करें)	10,000/-		8200/-	18200/-
II	ख : स्तर प्रचारक (को) के साथ जन सभा, सैली जुलूस इत्यादि पर किया गया व्यय (अर्थात्: साधारण पार्टी प्रचार वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-2 के अनुसार संतान करें)				
II	क्रम संख्या-ख में चल्ती/चलित जन सभाओं, सैलियों जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुसूची-3 के अनुसार संतान करें)			96	96
III	(क) केवल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले संचार पत्रों/टी.वी./रेडियो, कैबल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संतान करें)				
(ख) केवल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित अभ्यर्थी के स्वामित्व या अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल के स्वामित्व वाले संचार पत्रों/टी.वी./रेडियो, कैबल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संतान करें)					
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (पी) पर व्यय (अनुसूची-5 के अनुसार संतान करें)	31800		9000/-	40800/-
V	प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची-6 के अनुसार संतान करें)				
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय				
VII	आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में घोषणा के प्रकाशन पर उभारा व्यय (अनुसूची-10 के अनुसार संतान करें)	271079		90791/-	291580/-
VIII	VII वर्तमान प्रचार-अभियान पर होने वाला व्यय (अनुसूची-11 के अनुसार संतान करें)				
कुल योग		68879		193751/-	88254

(300)

सोनीलाल

## भाग-III अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची-7 के अनुसार संतान करें)	3
II	पार्टी (पार्टियों) से नकदी या बैंक इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-8 के अनुसार संतान करें)	
III	विपरी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से प्राप्त, उपहार या बंधे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-9 के अनुसार संतान करें)	
कुल योग		110500/-

सोनीलाल

(301)

स्टाम्प नम्बर 8586 दिनांक 29 DEC 2023



नाम ..... जोगाराम  
पिता/पति का नाम ..... लाला  
जाति ..... जाति निवासी .....  
उम्र ..... वर्ष हस्ते .....  
वास्ते ..... 2153 41

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1. आधारभूत अवसरचना सुविधाओं हेतु ( धारा 3-क ) - 10% रूपये	5
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु ( धारा 3-ख )/ प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु - 20%	10
कुल योग	15

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता **अशोक कुमार बोथरा**  
स्टाम्प विक्रेता  
ला नं 1/1995  
कचहरी परिसर, बाड़मेर ( राज. )

**शपथ-पत्र**

जिला निर्वाचन अधिकारी बाड़मेर (जिला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के समक्ष श्री/श्रीमती/सुश्री जोगाराम सुपुत्र/पत्नी/पुत्री राजाराम का शपथ-पत्र मैं जोगाराम सुपुत्र/पत्नी/पुत्री राजाराम आयु 35 वर्ष निवासी वेरीवाला तला बाड़मेर एतद्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ-

1. यह कि मैं जोगाराम संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बाड़मेर की लोकसभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला/वाली/अभ्यर्थी था/थी, जिसका परिणाम 03.12.2023 को घोषित किया गया था।
2. यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक 06.11.2023 (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया था) एवं उसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।
3. यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिये गये रजिस्टर में **अनुसूचित** किया गया था एवं उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित अनुसमर्थक वाउचर/बिल के साथ सलंगन है।



**ATTESTED**  
**NOTARY**  
**CHOHTAN (BARMER)**

जोगाराम



4. यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें सलंगन मेरे निर्वाचन व्यय लेखे में मेरे या मेरे अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य एसोसिएशन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल है एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किये गये व्यय को छोड़कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।
5. यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के अनुलग्नक-11 में सलंगन निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/अन्य एसोसिएशन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल है।
6. यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में किये गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

लोहाना

मेरे समक्ष 202..... के इस.....दिन में.....द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई)



ATTESTED  
NOTARY  
CHOHTAN (BARMER)